# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 71 सन 2022

अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र कन्हीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 29/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में पिता का नाम कन्हीराम दर्ज इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम कानाराम की जगह कन्हीराम संशोधित करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड व गांम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हीराम नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हीराम संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट तीनो खातों में प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हीराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में पिता का नाम कन्हीराम दर्ज इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम कानाराम की जगह कन्हीराम संशोधित करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड व गांम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हीराम नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हीराम संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम कानाराम दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हीराम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम कन्हीराम है जो उक्त सभी दस्तावेजात में दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में कानाराम दर्ज है जिसे संशोधित करवाना चाहते है व अपने कथनो के समर्थन में शपथ पत्र एव सरपंच ग्राम पचायत का प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम कन्हीराम है।

प्रार्थी ने अपने पिता के नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /तहसीलदार पेरोकार राज को ऐतराज नही होनें के आधार पर प्रार्थी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /सरपंच ग्राम पचायत की तस्दीक/एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट तीनो खातों में प्रार्थी के पिता का नाम विनोद कुमार पुत्र कानाराम दर्ज है के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र कन्हीराम उर्फ कानाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/9/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर ( हनुमानगढ़ )
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/ 3112 दिनांक :- 29/09/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 71/2022 अनवानी विनोद कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र कन्हीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 071/2022 अनवानी विनोद कुमार बनाम सरकार में दिनांक 29/09/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 29/29 की कुल 1.9360हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 0.6910हैक्ट एव रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 20/20 की कुल 2.7570हैक्ट तीनो खातों में प्रार्थी के पिता का नाम विनोद कुमार पुत्र कानाराम दर्ज है के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र कन्हीराम उर्फ कानाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner